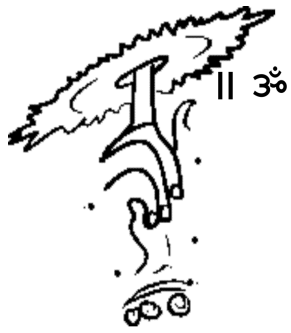

जय कुलदेवी

''एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति ना भुतो ना भविष्यति''

॥ ॐ कुल देवताभ्यो नम: ॥ ॥ ॐ पितृ देवताभ्यो नम: ॥ ॥ ॐ सर्वेभ्यो देवेभ्यो नम: ॥

मुखर तथा निडर पत्रकारिता

जय कुलदेवी

.....~ मेरी भक्ति, कुलदेवी की शक्ति

wwwJayKulDevi.com info@JayKulDevi.com

वर्ष 5 अंक 11 फरवरी 2023 अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम्। पृष्ठ 4 मूल्य 20 रूपए

UNSOLVED CASES

... अन्याय और सामाजिक विषमता का विरोध

अनसॉल्वड कैसेस - गैंगरेप के झूठे केस में बेगुनाह ने काटी 2 साल जेल

अब रेप केस से दोषमुक्त आदिवासी पुरुष ने मांग कि है कानून बदलने के लिये दस हजार छः करोड़ दो लाख रुपये का मुआवजा

भाग 2

पशुओं तक को हमारे समाज में सुरक्षा मिलती है लेकिन पति या पुरुष की सुरक्षा के लिए कोई कानून नहीं है। जय कुलदेवी फॉउन्डेशन ,महिलाओं के उत्पीड़न के शिकार पुरुषों को एकजुट करने का आवाहन करती हैं ।

जब कोई अभियुक्त दुष्कर्म के आरोप से अदालत से बाइज्जत बरी हो जाता है तो हम उसे रेप केस सरवाइवर क्यों नहीं कहते?

आखिर पुरुषों के मान-सम्मान की बात कौन करेगा, क्योंकि महिलाओं की मान- मर्यादा की रक्षा के लिए तो तमाम कानून बने हैं, लेकिन पुरुषों के सम्मान और मर्यादा की रक्षा के लिए कानून कहां हैं? शायद अब समय आ गया है जब पुरुषों के अधिकारों के प्रति भी बात होनी चाहिए

दोषमुक्त हो जाने के बाद भी उसके प्रति लोगों का नजरिया पहले की तरह सकारात्मक नहीं होगा।

आखिर ऐसे कानून कहां हैं जो इस मामले की तरह पुरुषों को रेप के झूठे आरोप लगाने वाली महिलाओं से बचा सकें?

रेप का झूठा मामला !

एक महिला जो झूठा बलात्कार दर्ज कराती है, अब पीड़ित नहीं है। आरोपी के बरी होने के बाद उसकी पहचान क्यों छिपाई जानी चाहिए? रेप का झूठा केस करने वाली महिला को सजा नहीं होती है ? उसकी पहचान गोपनीय रहने के साथ-साथ, उसे भविष्य में कहीं और झूठा बलात्कार का मामला दर्ज करने से कैसे रोक सकते है ?

जब कानूनों की बात आती है तो समय आ गया है कि हम महिलाओं को समान लिंग के रूप में देखें। उन्हें कानून की नजर में कमजोर वर्गों के रूप में संरक्षित नहीं किया जाना चाहिए।

PARTICULARS OF CRIME/OFFENCE
DISTRICT AND SESSIONS JUDGE COURT AT RATLAM(M.P.)
ST 29 of 2021
FIR/Crime Number- 194/2018
Police Station- Bajana District Ratlam (M.P.)
Under Section- 376(D), 346, 120-B of the IPC

घटना का दिनांक और समय - 18-01-2018 to 30-06-2018

प्रथम सुचना रिपोर्ट कि दिनांक और समय - 20-07-2018

चालान प्रस्तुति दिनांक - 24-12-2020

आरोप विरचित दिनांक - 13-08-2021

गिरफ्तारी कि तारीख- 23.12.2020

रिहा करने कि तारीख - 20.10.2022

निरोध की अवधि - 666

प्रश्न उठता है कि किसी को फर्जी केस में फंसाकर उनकी जिंदगी ख़राब कर देना यहां इतना आसान क्यों है ?

ग़लत तरीके से बिना गुनाह के एक लंबा समय जेल में गुज़ारने वाले लोगों द्वारा झेली गई पीड़ा की जवाबदेही किस पर है?

क्या यह वक़्त नहीं है कि देश में पुलिस प्रणाली और अपराध न्याय प्रणाली को लेकर सवाल खड़े किए जाएं ?

न्यायिक प्रणाली इतनी बेरहम क्यों है कि वह किसी को जेल की कालकोठरी में ठूंसे जाने के बाद उसके बारे में पूरी तरह भूल जाना ही श्रेयस्कर समझती है।

झूठी एफआईआर के चलते निश्चित ही वास्तविक पीड़ित को भारी मानसिक यातना से गुजरना पड़ता, जो उनके मानवाधिकार का उल्लंघन है। उस व्यक्ति तथा उसके आत्मीयों को झेलनी पड़ी मानसिक पीड़ा को भुला सकता है, निश्चित ही नहीं !

अपनी सत्ता का दुरूपयोग करके किसी व्यक्ति को जबरन दिया गया कारावास संविधान की धारा 21 के तहत उस व्यक्ति के जीवन और आज़ादी के अधिकार का उल्लंघन करता है, आज की तारीख में ऐसी फर्जी मामलों में बढ़ावा हुआ है, जिससे न्याय के साथ खिलवाड़ की तथा मुल्क की अपराध न्यायप्रणाली में एक ब्लैक होल के निर्माण की संभावना बनी है।

वास्तविक पीड़ित को फर्जी आरोपों के लिए न केवल जेल में बंद रहना पड़ा था और अदालती कार्यवाही में शामिल होने के लिए तारीख पेशी पर आना पड़ता हैं।

एक समय था जब दहेज प्रताड़ना से जुड़ी आइपीसी की धारा-498 के दुरुपयोग की वजह से इस कानून में बदलाव के लिए आवाजें उठी थीं। 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने भी उसे कानूनी आतंकवाद की संज्ञा दी थी और 2014 में निर्देश पारित किए, जिससे तुरंत गिरफ्तारी पर रोक लगी। आज दुष्कर्म से जुड़ी धारा 376 का दुरुपयोग भी धारा 498 की राह पर बढ़ रहा है। 40-50 प्रतिशत झूठे मामले दर्ज कराए जा रहे हैं। लोगों की जिंदगी बर्बाद हो रही हैं। जरूरत है कि समय रहते इस दुरुपयोग को रोका जाए।

अभियोजन मामला संक्षेप में -

इस प्रकार है कि दिनांक 20.07.2018 को अभियोक्त्री, निवासी ग्राम घोडाखेडा जिला रतलाम ने आरक्षी केन्द्र बाजना जिला रतलाम

(शेष पेज नं. 2 पर)

THAT AN ADVOCATE IS A GUARDIAN OF CONSTITUTIONAL MORALITY AND JUSTICE EQUALLY WITH A JUDGE.

Advocate, is a person in uniform involved in a noble profession. The office of the lawyer is no less respected than Courts of law.

~ Engineer Vijay Singh Yadav, Advocate
MP/1549/2019 (Enrolment No. in State Bar Council)
Address: 40, Laxmi Nagar,
Ratneswar Road, Ratlam(M.P.) 457001
e-mail:LEGAL@J AYKULDEVI.COM,
Mo.: 89890-01819

who always spoke out against injustice and stood up for the poor and helpless people and worked as a lawyer for many years advocating for human rights and obtaining justice for them.

FAIR CRITICISM OF THE JUDICIARY

Freedom of speech is a fundamental right guaranteed to every Indian citizen under Article 19(1)(a) of the Constitution, albeit subject to reasonable restrictions under Article 19(2). In C.K. Daphtary v. O.P. Gupta (1971), the Supreme Court held that the existing law of criminal contempt is one such reasonable restriction. That does not mean that one cannot express one's ire against the judiciary for fear of contempt.

My expression represents my bonafide beliefs, the expression of which must be permissible in any democracy. Indeed, public scrutiny is desirable for the healthy functioning of the judiciary itself. I believe that open criticism of any institution is necessary in a democracy, to safeguard the constitutional order.

I am never afraid to confront corrupt judges and call them out. my fearless and outspoken voice will be sorely missed at a time when JUDICIAL MISCONDUCT and lack of judicial independence are reaching a crescendo.

I will write a couple of questions for JUDICIAL MISCONDUCT every day, which were duly published in JAY KULDEVI for the next several months.

- Engineer Vijay Singh Yadav, Advocate

न्यायालय कि आदेशपत्रिका की सद्भावनापूर्ण और सकारात्मक आलोचना

यदि मै इंजिनियर विजय सिंह यादव, अधिवक्ता न्यायपालिका और उसके अनेकों फैसलों / आदेशों / विधि की प्रक्रिया का दुरुप्रयोग करने वाली न्यायालय कि आदेशपत्रिका की सद्भावनापूर्ण और सकारात्मक आलोचना करता हूँ की इसे अदालत की अवमानना और न्याय कार्य में हस्तक्षेप नहीं कहा जा सकता हैं । कोर्ट द्वारा दिये किसी भी निर्णय पर तथा न्यायिक क्षमता (शक्ति) में जज के व्यवहार पर **(a) Fair** (न्याययुक्त ,सच्ची,स्पष्ट,शुद्ध), **(b) Reasonable** (विवेकयुक्त, उचित, न्यायसिद्ध) और **(c) Legitimate** (यथायोग्य, नियमानुसार, खरी) आलोचना **(criticize)** साधारण आदमी **(ordinary men)** द्वारा भी की जा सकती है । न्याय या फैसला **(justice)** मठ का आदेश **(cloistered)** नहीं है। फैसले **(judgement)** की **scrutiny** (सुक्ष्म परिक्षा,छानबीन,अनुसंधान,जांच) की जा सकती हैं । **यद्यपि हमारा आशय किसी भी प्रकार से न्यायालय की गरिमा या किसी व्यक्ति विशेष को ठेस पहुंचाने की मंशा नहीं है, अपितु आम नागरिकों को कानून की प्रक्रिया के प्रति जागरुक करना है । अतः किसी को भी कोई आपत्ति हो या किसी प्रकार की ठेस पहुंची हो तो संपादक / प्रकाशक क्षमाप्रार्थी है ।**

सम्पादकीय...

लोगों को जेल में डालने के अलावा भी है विकल्प

अपराध में शामिल किसी को जेल भेजने की वजह यह होती है कि वह कानूनी प्रक्रिया से बचकर न भागे और आगे भी अपराध न करे। आजकल डिजिटल तकनीक से लैस कई ऐसे उपकरण उपलब्ध हैं जिन्हें आरोपी के शरीर में पहना जा सकता है। जैसे कि टखने के रिंग, जो जीपीएस से जुड़े होते हैं और उन्हें निकालना असंभव होता है। ये लोगों को जेल में डालने के अलावा बेहतरीन विकल्प हो सकते हैं। आज जब देश की जेलों में कैदियों की संख्या 119 प्रतिशत है, तब इसके जरिये जेलों में भीड़ को कुछ कम करने में मदद मिलेगी। हमें महज लोगों को जेलों में डालने के बजाय सजा और सुधार के अन्य तरीकों को भी विकसित करना होगा।

गैंगरेप के झूठे.... (प्रथम पेज का शेष समाचार)

पर इस आशय की मौखिक सूचना दी कि ''वह ग्राम घोडाखेडा में रहती है। दिनांक 18.01.2018 को वह अपने घर घोडाखेडा पर थी, दिन के 12.00 बजे कांतु पिता नरसिंह अमलियार निवासी घोडाखेडा ने उससे बोला कि वह उसके साथ चले तो वह उसे, उसके भाई के घर पर छोड देगा, तो वह कातु के साथ उसकी मोटरसायकल पर बैठकर चली गई तो कांतु उसके भाई के घर पर नहीं ले गया और उसकी इच्छा के विरूद्ध घोडाखेडा के जंगल में ले गया वहां कांतु ने उसके साथ जबरन बलात्कार किया। फिर वही भैरू अमलियार निवासी गमनाका मनासा आया और भैरू पिता दित्या निवासी गमनाका मनासा को बुलाया और उसे उसको सुपुर्द कर दिया फिर भैरू पिता दित्या उसे मजदूरी करवाने के लिये इंदौर तरफ ले गया और करीब 06 माह तक उसे अपने साथ रखकर जबरन बलात्कार करता रहा। फिर भैरू ने उसे भैरू सरपंच के सुपुर्द कर दिया जो उसे बाजना में छोड गया। उसने सारी घटना अपने पति को बताई और पति को लेर उसके साथ रिपोर्ट करने आई है। रिपोर्ट करती है, कार्यवाही की जावे।'

विधिक शिक्षा, सहायता- मुफ्त क़ानूनी परामर्श और गरीबों के लिए नि:शुल्क सेवा के क्षेत्र में कार्यरत संस्था जय कुलदेवी फॉउन्डेशन के प्रतिनिधि ने बताया कि संस्था के प्रयासों से जिला एवं सत्र न्यायालय रतलाम मध्य प्रदेश में प्रकरण क्रमांक ST 29 of 2021 में धारा 376(D), 346, 120-B of the IPC. गैंग रेप के झूठे आरोप में लगभग 2 वर्षो से भी अधिक सजा काट चुके पुरुष उत्पीड़न के शिकार कांतु पिता नरसिंह को दिनांक 20.10.2022 को दोष मुक्त किया गया हैं। कांतु एक विवाहित व्यक्ति है उसका एक परिवार है और कांतु की लंबी हिरासत के कारण, कांतु का परिवार वस्तुत: भुखमरी के चरण में है क्योंकि कांतु ही एकमात्र कमाई करने वाला परिवार का सदस्य हैं /था। वृद्ध माँ मीरा , पत्नी लीला , तीन बच्चे पपिता, लक्ष्मण और सूरज के पालन पोषण का दायित्व हैं।

विधिक शिक्षा, सहायता- मुफ्त क़ानूनी परामर्श और गरीबों के लिए नि:शुल्क सेवा के क्षेत्र में कार्यरत संस्था जय कुलदेवी फॉउन्डेशन के प्रतिनिधि ने बताया कि पुरुष उत्पीड़न से जुडे प्रत्येक मामलो में विधिक सहायता हेतू आप कार्यालय के पते जय कुलदेवी फॉउन्डेशन, 40 लक्ष्मी नगर, रत्नेश्वर रोड़, रतलाम (म.प्र.) पर हमसे सम्पर्क कर सकते है।

आप अधिक जानकारी हेतू 9827.007.283 पर फोन कर भी हमसे सम्पर्क कर सकते है।

प्रश्न 01 - क्या कान्तु को जमानत का लाभ मिला था?

गरीब असहाय कान्तु के जमानत आवेदनों को अनेकों बार ख़ारिज किया गया था

BEFORE DISTRICT AND SESSIONS JUDGE COURT AT RATLAM(M.P.)

Kantu Vs THE STATE OF MADHYA PRADESH

1. Dismissed-Ord dt: 29.09.2021
2. Dismissed-Ord dt: 20.07.2022
3. Dismissed-Ord dt: 01.09.2022

BEFORE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH

Kantu Vs THE STATE OF MADHYA PRADESH

1. MCRC 16299 of 2021 Dismissed- Ord dt:23/04/2021
2. MCRC 47801 of 2021 - Dismissed-Ord dt:02/12/2021
3. MCRC 12132 of 2022- Dismissed-Ord dt:25/03/2022

जबकि अन्य आरोपी रहे भेरू की अग्रिम जमानत को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय खण्ड पीठ इंदौर द्वारा दिनांक 23.12.2019 MCRC No 53287/2019 द्वारा स्वीकार किया गया था।

प्रश्न 02 - माननीय न्यायालय द्वारा निष्कर्ष क्या था?

अंतत: अभिलेख पर आई संपूर्ण साक्ष्य की विवेचना के उपरांत माननीय न्यायालय द्वारा निष्कर्ष तय किया कि अभियोजन आरोपीगण के विरूद्ध घटना, मामले को युक्तियुक्त संदेह के परे प्रमाणित करने में पूर्ण रूप से विफल रहा है।

बचाव पक्ष की ओर से आरोपी कांतु का मेडीकल परीक्षण प्रतिवेदन धारा 294 द.प्र.स के अन्तर्गत स्वीकार किया गया है।

प्रश्न 03 - मानव जीवन अनमोल, इसलिए लगाया हजारों करोड़ का दावा ?

वकील विजय सिंह यादव का कहना है कि मानव जीवन का कोई मूल्य तय नहीं किया जा सकता है। पुलिस और राज्य सरकार की वजह से कांतु का जीवन बर्बाद हो गया। उसे बेगुनाह होने के बावजूद 2 साल तक जेल की प्रताड़ना सहनी पड़ी। कांतु के परिवार में बुजुर्ग मां मीरा, पत्नी लीला और 3 बच्चे हैं। सभी के पालन पोषण की जिम्मेदारी उसी पर है। कांतु की लंबी हिरासत के कारण उसका परिवार भुखमरी की स्थिति में आ गया। बच्चों की पढ़ाई-लिखाई छूट गई। समाज में वापस जाने के लिए और रोजगार के लिए उसे मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इसी वजह से दावा लगाया गया है। समाज को यह भी संदेश देना चाहते हैं कि महिलाएं अपने अधिकारों का दुरुपयोग न करें।

प्रश्न 04 - आदिवासीयों में भांजगड़ा क्या हैं ?

आदिवासीयों में यदि किसी बात को लेकर मतभेद हो जाता हैं तो आदिवासी समाज के सम्मानीय व्यक्ति मिलकर भांजगड़ा यानि पैसो या वस्तुओं का लेनदेन करके क्षतिपूर्ति करके आपस में समझौता करते हैं। किन्तु बुरा जब होता है जब इस प्रथा को ब्लैकमेल करने इस्तेमाल करते हैं और झूठी पुलिस रिपोर्ट करके वसूली करते हैं।

प्रश्न 05 - केस झूठा हो तब भी मुआवजे की रकम लौटानी नहीं होती हैं ?

मध्यप्रदेश में सरकारी मुआवजे के लिए रेप केस दर्ज कराए जा रहे हैं। यह सुनकर किसी को भी हैरानी होगी, लेकिन यह पूरी तरह सच है। दरअसल, SC-ST एट्रोसिटी एक्ट के तहत पीड़ित महिला को लगभग 4 लाख रुपए का मुआवजा देती है। इसी मुआवजे के लिए ऐसे झूठे रेप केस दर्ज कराए जा रहे हैं।

मुआवजे के गणित को समझिए, अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) की महिला से रेप होने पर राज्य सरकार 4 लाख रुपए का मुआवजा देती है। मामले में FIR दर्ज होने पर एक लाख और कोर्ट में चार्ज शीट पेश होने पर 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। यानी 3 लाख रुपए तो सजा होने से पहले ही दे दिए जाते हैं। अगर आरोपी को सजा होती है, तो पीड़ित को एक लाख रुपए और दिए जाते हैं। सजा न भी हो, तब भी पहले दिया गया मुआवजा वापस नहीं मांगा जाता। यह प्रावधान केवल SC-ST वर्ग के लिए ही है, अन्य को नहीं।

मुआवजे के बाद बदल जाते हैं बयान

आंकड़े बताते हैं कि SC-ST एट्रोसिटी एक्ट के तहत दर्ज रेप के मामलों में हर 5 में से 4 आरोपी बरी हो रहे हैं। यानी, सिर्फ 20 प्रतिशत केसेज में ही सजा होती है, जबकि पीड़ित को मिलने वाला मुआवजा 100 प्रतिशत मामलों में बंट जाता है। केस दर्ज होने और सजा मिलने के मामलों में इतने बड़े अंतर की जड़ में है सरकारी मुआवजा।

इसको विस्तार से समझें तो पता चलता है कि कई रेप पीड़ित तीन लाख रुपए का मुआवजा मिलते ही कोर्ट में अपने बयान से पलट जाती हैं। वे FIR और चार्जशीट दाखिल होने तक का मुआवजा ले लेती हैं और कोर्ट में कह देती हैं कि रेप हुआ ही नहीं, या फिर दबाव में रेप का केस दर्ज कराने की बात कह देती हैं।

छह साल में 490 करोड़ का मुआवजा

एट्रोसिटी एक्ट में 47 कैटेगरी में मुआवजे का प्रावधान है। MP में पिछले छह साल में सभी कैटेगरी को मिलाकर 43 हजार 560 मामलों में 490 करोड़ रुपए से ज्यादा का मुआवजा बांटा गया। इस दौरान सजा सिर्फ 5 हजार 710 मामलों में ही हुई। अकेले रेप केसेस की बात करें तो 5 हजार 225 मामलों में 96 करोड़ रुपए की मदद की गई, लेकिन सजा 21 प्रतिशत केस में ही हुई। पिछले साल तो सजा का एवरेज 12 प्रतिशत ही था।

सरकार की तरफ से दमदार पैरवी नहीं की जाती?

कोर्ट में आदिवासी महिलाओ का पक्ष रखने के लिए दमदार पैरवी नहीं की जाती है। दूसरी बात एट्रोसिटी एक्ट लगने के बाद जांच प्रक्रिया इतनी लंबी कर दी गई है कि पीड़ित महिला को बहला-फुसलाकर या प्रलोभन देकर मना लिया जाता है। इसीलिए

केस में सजा नहीं होती। दरअसल, सरकार की मंशा आदिवासियों को न्याय दिलाने की नहीं है।

प्रश्न 06 - फॉल्स रेप केस के मामले में क्या होता है?

ये समझने के लिए हमने बात की इंजिनियर विजय सिंह यादव, अधिवक्ता, इन्होंने बताया कि अगर किसी व्यक्ति पर रेप केस के झूठे चार्ज लगते हैं, तो उसके पास तीनों स्थिति में ऑप्शन होते हैं -

पहला, अरेस्ट होने के पहले.

दूसरा, चार्जशीट फ़ाइल होने के बाद.

तीसरा, बरी होने के बाद.

(1) अगर किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसके खिलाफ ऐसा चार्ज लगाया जा सकता है, तो वो पहले ही एक्शन लेकर खुद को तैयार कर सकता है इस मामले से डील करने के लिए ऐसा कई मामलों में नहीं हो पाता. लेकिन फिर भी इन ऑप्शन में क्या होता है, आप यहां समझ लीजिए.

अरेस्ट होने से पहले आप अग्रिम जमानत (anticipatory bail) के लिए याचिका दाखिल कर सकते हैं, ताकि पुलिस कस्टडी में आपको परेशान न किया जाए.

अरेस्ट होने या चार्जशीट फ़ाइल होने के बाद दो ऑप्शन होते हैं -

(2) पहला, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग (CrPC) के सेक्शन 482 के तहत एप्लीकेशन दी जा सकती है. FIR में लगी आपराधिक कार्यवाही (criminal proceedings) को खारिज कराने की. अगर आरोपी ये साबित कर दे कि उसके खिलाफ प्रथम दृष्टतया (Prima Facie) कोई केस नहीं बनता. या फिर ये सुबूत दे कि आरोप बिल्कुल असम्भाव्य हैं. या ये साबित कर दे कि ये पूरी प्रक्रिया उसे परेशान करने की बुरी नीयत के साथ शुरू की गई है. अगर हाई कोर्ट को ये लगता है कि एप्लीकेशन देने वाला व्यक्ति इन में से किसी भी शर्त को पूरा करता है, तो वो अपने अधिकार के तहत FIR की आपराधिक कार्यवाही को खारिज कर सकता है.

(3) दूसरा. हाई कोर्ट के सामने रिट याचिका दायर करना. ये उन मामलों में होता है, जब ये आशंका हो कि इस मामले में पुलिस या निचली अदालत के साथ मिलकर आरोपी पर कार्यवाही की जा रही है. हाई कोर्ट संबंधित अधिकारियों के लिए आदेश जारी कर सकता है कि वो अपनी ड्यूटी उचित रूप से निभाएं. या फिर वो रिट ऑफ प्रोहिबिशन (निषेधाज्ञा का अधिकार) जारी कर निचली अदालत में चल रही आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगा सकता है. इसके लिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 226 अदालत को इजाज़त देता है.

प्रश्न 07 - बरी होने के बाद व्यक्ति के पास क्या विकल्प हैं?

अगर किसी पर ऐसा झूठा आरोप लगता है, और कोर्ट उसे बरी कर दे, तो उसके बाद किसी भी व्यक्ति के पास कानूनन ये विकल्प होते हैं-

1. IPC की धारा 211 के तहत मामला. इस धारा के तहत व्यक्ति FIR दर्ज करवा सकता है. इस आरोप के साथ कि उसके खिलाफ झूठी आपराधिक कार्यवाही शुरू की गई, उसे नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से. इस मामले में सात साल तक की जेल हो सकती है.

2. IPC की ही धारा 182. इस धारा के अनुसार उन लोगों को सजा दी जाती है, जो किसी भी नागरिक अधिकारी को झूठी जानकारी देते हैं, किसी निर्दोष व्यक्ति को फंसाने के लिए. इसमें अधिकतम छह महीने की जेल हो सकती है.

3. IPC की धारा 499- 500 के तहत आपराधिक मानहानि (क्रिमिनल डिफेमेशन) का मुकदमा दायर किया जा सकता है. इसमें अधिकतम दो साल की जेल होती है.

4. मानहानि का सिविल मुकदमा भी दायर करना एक विकल्प

(शेष पेज नं. 3 पर)

गैंगरेप के झूठे.... (प्रथम पेज का शेष समाचार)

है. इसमें जिस व्यक्ति पर आरोप लगे, वो अपनी इज्जत को हुए नुकसान के लिए आर्थिक मुआवजे की मांग कर सकता है. मुआवजे की कीमत इस बात पर निर्भर करती है कि उस व्यक्ति की समाज में क्या स्थिति थी.

प्रश्न 08 - बिलकिस बानो का केस तो लाइम लाइट में था, लेकिन क्या एक आम महिला भी बलात्कारियों को रिहा करने के फैसले को चुनौती दे सकती है?

बिल्कुल दोबारा चुनौती दी जा सकती है। री-पिटीशन यानी पुनर्विचार याचिका दायर की जा सकती है। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में इसे चैलेंज किया जा सकता है।

स्टेट पॉलिसी में यह प्रोविजन है, जिसके मुताबिक तय किया जाता है कि अपराधियों को 14 साल की सजा काटने के बाद छोड़ा जा सकता है या नहीं।

माफ करने वाली पॉलिसी सेंट्रल गवर्नमेंट की है। इसमें रेप करने वाले अपराधी को बरी करने का कोई प्रावधान नहीं है। स्टेट पॉलिसी में भी रेप के अपराधी को बरी करने का प्रावधान नहीं है।

बिलकिस बानो केस में जो लोग रिहा हुए हैं, उन लोगों ने 3 साल की बच्ची का सिर पटककर मर्डर किया। महिला का गैंगरेप किया। वो पांच महीने की प्रेग्नेंट थी, इस मामले में अभी के कानून के मुताबिक दोषियों को बरी करने का कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन गुजरात सरकार ने 1992 के एक कानून का सहारा लेते हुए ऐसा किया।

प्रश्न 09 - अगर रेप विक्टिम अपराधी की रिहाई को कोर्ट में चुनौती नहीं देना चाहती है, तो क्या कोई और उसकी तरफ से चुनौती दे सकता है?

जवाब- हां, इस तरह के मामले पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी PIL के होते हैं। इसलिए PIL के तहत इसमें कोई भी चुनौती दे सकता है।

PIL यानी जनहित याचिका

यह मुकदमेबाजी का एक रूप है, जिसे जनहित यानी पब्लिक इंटरेस्ट की रक्षा के लिए दायर किया जाता है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या व्यक्ति इसे दायर कर सकता है। किसी भी बुनियादी मौलिक या धार्मिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए कानूनी समाधान की मांग् की जा सकती है।

सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट दोनों ही भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 और अनुच्छेद 32 के तहत स्थिति के आधार पर जनहित याचिका यानी PIL पर विचार कर सकते हैं।

रिव्यू पिटीशन यानी पुनर्विचार याचिका

संविधान के अनुच्छेद 137 के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट को अपने फैसले पर पुनर्विचार करने का अधिकार दिया गया है। कोर्ट के फैसले पर पक्षकार यानी पार्टी कोर्ट से आग्रह कर सकती है कि वो अपने दिए गए फैसले पर फिर से विचार करें। इसे दाखिल करने का एक समय निश्चित किया गया है।

यदि पुनर्विचार याचिका दायर करनी है, तो इसे फैसला दिए जाने के 30 दिनों के अंदर ही करना होता है।

क्यूरेटिव पिटीशन

यह तब दाखिल किया जाता है, जब किसी अपराधी की दया याचिका राष्ट्रपति के पास भेजी जाती है।

इसके बाद भी जब सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन यानी पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया जाता है, तब क्यूरेटिव पिटीशन के अलावा उस मुजरिम के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं बचता है। क्यूरेटिव पिटीशन के माध्यम से ही वह अपने लिए तय की गई सजा से बचने के लिए गुजारिश कर सकता है। यदि क्यूरेटिव पिटीशन में एक बार फैसला सुना दिया जाता है, तो इसमें अपराधी के बचाव के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं।

प्रश्न 10 - अगर रेप विक्टिम की पहचान कोई डिसक्लोज कर दे, तब उसके लिए कोई सजा है या नहीं?

जवाब- रेप विक्टिम की पहचान अगर कोई डिसक्लोज करता है, तो उसके लिए बाकायदा कानून है। 288 के तहत उसके खिलाफ कार्यवाही हो सकती है।

एम.सीआर.सी. संख्या 15344/2021 इंदौर दिनांक 8.5.2021, (द्वारकेश अय्यर बनाम मध्य प्रदेश राज्य),माननीय न्यायालय ने अपने फैसले में बलात्कार पीड़िता के नाम का उल्लेख पेरा संख्या 02 में किया है।

प्रश्न 11- अब पीड़ित महिला के मेडिकल टेस्ट को लेकर ये नियम क्या हैं ?

1997 में बनाए गए कानून के मुताबिक सिर्फ महिला डॉक्टर ही रेप पीड़िता की मेडिकल जांच कर सकती है।

महिला डॉक्टरों की कमी को देखते हुए 2005 में फिर से कानून में संशोधन किया गया।

अब किसी भी लिंग और किसी भी विषय का रजिस्टर्ड मेडिकल डॉक्टर इस तरह की जांच कर सकता है। इसके लिए पीड़िता की सहमती जरूरी है।

पुरुषों की मेडिकल जांच करने का विरोध हुआ तो इसे भी बदला गया।

हेल्थ मिनिस्ट्री ने रेप पीड़ितों के टू फिंगर टेस्ट पर भी रोक लगाई है।

नए नियम कहता है कि सभी अस्पतालों में रेप पीड़ितों के लिए एक स्पेशल रूम होगा। जिसमें उनका फॉरेंसिक और मेडिकल टेस्ट होगा।

प्रश्न 12- रेप को लेकर बने कानून का इतिहास पर कुछ प्रकाश डालना चाहेंगे ?

रेप को भारतीय दंड संहिता यानी Indian Penal Code में अपराध की कैटेगरी में 1960 में शामिल किया गया।

उससे पहले इससे रिलेटेड कानून पूरे देश में अलग-अलग थे।

Charter Act, 1833 के लागू होने के बाद भारतीय कानूनों को संहिताबद्ध करने का काम शुरू हुआ था।

उस समय ब्रिटिश संसद ने लॉर्ड मैकॉले की अध्यक्षता में पहले लॉ कमीशन का गठन किया।

कमीशन ने आपराधिक कानूनों को दो भागों में संहिताबद्ध करने का फैसला लिया।

- पहला भाग भारतीय दंड संहिता यानी IPC और दूसरा भाग दंड प्रक्रिया संहिता यानी CrPC बना।
- IPC के तहत अपराध से संबंधित नियमों को परिभाषित तथा संकलित किया गया। इसे अक्टूबर 1860 में अधिनियमित किया गया, लेकिन 1 जनवरी 1862 में लागू किया गया।
- CrPC, आपराधिक न्यायालयों की स्थापना और किसी अपराध के टेस्टिंग और मुकदमे की प्रक्रिया के बारे में है।
- IPC की धारा 375 में बलात्कार को परिभाषित किया गया और इसे एक दंडनीय अपराध माना गया।
- IPC की धारा 376 के तहत बलात्कार जैसे अपराध के लिए कम से कम 10 साल और अधिक से अधिक आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है।

IPC के तहत बलात्कार की परिभाषा में ये 3 बातें शामिल की गई हैं

- पुरुष जब किसी महिला की सहमति के बिना उससे शारीरिक संबंध बनाए।
- जब हत्या या चोट पहुंचाने का डर दिखाकर दबाव में संबंध बनाया जाए।
- 18 साल से कम उम्र की किसी महिला के साथ उसकी सहमति या बिना सहमति के यौन संबंध बनाया जाए।

आदिवासी महिला मथुरा रेप केस ने बदला कानून

साल 1860 के बाद तक बलात्कार और यौन हिंसा के कानूनों में कोई बदलाव नहीं हुआ था।

26 मार्च 1972 को महाराष्ट्र के देसाईगंज पुलिस स्टेशन में मथुरा नामक एक आदिवासी महिला के साथ पुलिस कस्टडी में हुए रेप ने इन नियमों को बदल दिया ।

इसके जवाब में आपराधिक कानून (दूसरा संशोधन) अधिनियम 1983, Criminal Law (Second Amendment) Act 1983 पारित किया गया।

इसके अलावा IPC में धारा 228 जोड़ी गई। जिसमें कहा गया कि रेप जैसे कुछ अपराधों में पीड़ित की पहचान गुप्त रखी जाए। ऐसा न करने पर दंड का प्रावधान किया जाए।

अब रेप केस से दोषमुक्त आदिवासी पुरुष ने मांग कि है कानून बदलने के लिये दस हजार छः करोड़ दो लाख रुपये का मुआवजा

UNIFORM COMPENSATION LEGISLATIVE FRAMEWORK

Over the last few years, there has been a gradual increase in the rate of wrongful convictions in the country. Today, more innocent people are in prisons than ever before.

Not only do unlawful arrests and imprisonment contribute to the loss of years, but victims are also subjected to even social isolation and ostracism after release.

According to the report of U.S. Department of Justice, wrongfully convicted victims face long-term psychological, social, emotional and financial consequences over their lifetimes following their release. The psychological and emotional effects include, inter alia, terror, mistrust, anxiety, psychiatric illness, and sleepless nights.

The fact that Rudul Shah was granted compensation in the amount of Rs. 30000 for being captive for 14 years in prison and that Ram Lakhan Singh was granted compensation in the amount of Rs. 15 Lakhs for being imprisoned for 11 days reflects the lack of consistency of the Judiciary's approach to these cases, thereby highlighting the need of a 'uniform compensation legislative frame work'.

No amount of compensation can restore the lost years of victims' life.

सलाखों के पीछे भेजे गए लोगों में से कितने आखिर में निर्दोष साबित हुए? ऐसी कानूनी एजेंसियों की पहचान होनी चाहिए और उनके खिलाफ कार्यवाही भी होनी चाहिए, जो अपनी ताकत का दुरुपयोग करती हैं। सरकार को उन मामलों में अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करनी होगी, जिनमें अंतहीन सुनवाइयों के कारण जिंदगियां जेलों में सड़ गईं ।

सरकार उनसे न सिर्फ माफी मांगे, बल्कि मुआवजा भी दे, क्योंकि ऐसे मामलों में मौलिक अधिकारों के अनुच्छेद 21 (जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार) और अनुच्छेद 32 (संवैधानिक उपचार का अधिकार) के तहत सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाने में अक्षम साबित होती है ।

साल 2006 में भारत ने एक इतिहास ही बनाया, जब पता चला कि उन्नाव के शंकर दयाल ने मुकदमे की सुनवाई के इंतजार में 45 साल जेल में बिता दिए थे। उस पर चाकू से किसी पर वार करने का आरोप था और दोषी पाए जाने पर अधिकतम तीन साल की सजा हो सकती थी। कुछ ऐसा ही फैजाबाद के जगजीवन राम यादव के साथ हुआ। जगजीवन ने चार दशक सिर्फ इस कारण जेल की सलाखों के पीछे बिता दिए, क्योंकि अधिकारियों से उनके कागजात 'गुम' हो गए थे।

सारे विचाराधीन कैदियों में यह बात आमतौर पर देखी जाती है कि वे गरीब, युवा और अशिक्षित होते हैं। शायद सबसे बड़ा जोखिम गरीबी के कारण पैदा होता है, जो दो तरह से चोट करती है। एक, आर्थिक रूप से पिछड़े लोग कानूनी रूप से असहाय हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास जेल जाने से बचाने वाली कानूनी लड़ाई के लिए पैसे नहीं होते। दूसरे, अगर जमानत मिल भी गई तो कई बंदी जमानत की रकम चुका नहीं पाते

पिछले का अंक शेष....

अनसॉल्वड कैसेस - जज साहिबा को जन्मदिन की बधाई भेजने के आरोप में अधिवक्ता की कहानी ....

प्रश्न 13 - क्या सह आरोपी कमलेश राठौर के विरुद्ध दायर चालान डायरी का माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय खण्ड पीठ इंदौर द्वारा अभिखण्डन कर दिया गया हैं ?

MCRC-10521-2022 में दिनांक 05.01.2023 को सह आरोपी कमलेश राठौर के विरुद्ध दायर चालान डायरी का माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय खण्ड पीठ इंदौर द्वारा अभिखण्डन कर दिया गया हैं इसका अर्थ है की बेगुनाह लोगो को जेल में ठूसना तानाशाही बन चुका हैं। उल्लेखनीय है कि कमलेश राठौर को दिनांक 04.05.2021 को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया था जिसकी MCRC /28583/2021 में जमानत दिनांक 25/06/2021 को हुए थी। बेगुनाह कमलेश राठौर ने सिर्फ तानाशाही के चलते की 52 दिनों की जेल काटी थी।

प्रश्न 14 - मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद जबलपुर के समक्ष Complaint Number: 26/2021 के बारे में आपके क्या विचार हैं ?

दिनांक 23-07-2022 कि आदेशपत्रिका में स्पष्ट लेख है की प्रकरण का अवलोकन किया गया प्रकरण में पंजीयन शुल्क भी जमा नहीं हैं। वकील व न्यायाधीश के बीच व्यक्तिगत मामला हैं अत: कदाचार का कोई मामला नहीं बनता है प्रकरण नस्तबद्ध किया जाता हैं।

किन्तु उक्त नस्तीबद्व शिकायत को भी दिनांक 04.08.2022 को suo moto Enquiry Ratlam(M.P.) के नाम से आज दिनांक तक केवल और मात्र मुझे प्रताड़ित करने के आशय से चलाया जा रहा हैं। ताकि मै उनकी शर्ते मान लूँ और न्यायालय की वास्तविकता से लेकर वंशवादी वकालत एवं अन्य व्यवस्थाओं और अन्य संबंधों पर आम जनता को जागरूक करना बंद कर दूँ जोकि असंभव हैं। **(शेष अगले अंक में)**

Corporate Identity Number : U85300MP2021NPL058018

मेरीटेबल संस्था

JAY KULDEVI FOUNDATION
जय कुलदेवी फॉउन्डेशन
मेरी भक्ति, कुलदेवी की शक्ति

Tapasvi Entertainment Labs Pvt. Ltd.
bringing visions to life

LIGHTS... CAMERA... ACTION!

JAY KULDEVI NEWSPAPER Presents

UNSOLVED CASES

अन्याय और सामाजिक विषमता का विरोध

We are looking for victims of abuse and injustices turned superheroes, just because they were brave enough to tell their stories to our upcoming web series TALK SHOW

Hey Guys..
I am making a team for known OTT platform short film and series..We need some pessionate writer,editor, actor,actress director Who wants to work for the career without lot of money at this point of time.Kindly contact and share profile on these numbes.

Vijay. :- 9827007283
Neville :- 9589281031

मुखर तथा निडर पत्रकारिता
जय कुलदेवी
मेरी भक्ति, कुलदेवी की शक्ति

इंजी. विजय सिंह यादव, अधिवक्ता
Er. Vijay Singh Yadav, Advocate

कार्यालय : 40, लक्ष्मी नगर, रत्नेश्वर रोड़, रतलाम (म.प्र.) 457001
Office : 40, Laxmi Nagar, Ratneshwar Road, Ratlam (M.P.) 457001

9827-007-283 www.JayKulDevi.com info@JayKulDevi.com JayKulDevi JayKulDevi JayKulDevi

स्वामी जय कुल देवी सेवा समिति रतलाम प्रकाशक, मुद्रक विजय सिंह यादव (अध्यक्ष–जय कुलदेवी सेवा समिति रतलाम), द्वारा आशीर्वाद ऑफसेट शाप नं.05 गाँधी स्कूल के पास, नाहरपुरा गली नं.2 रतलाम (म.प्र.) से प्रकाशित। सम्पादक विजय सिंह यादव मो. 9827007283। न्याय क्षैत्र रतलाम (म.प्र.) रहेगा। डाक पंजीयन क्रमांक एमपी/आरटीएम/221/2023-25
RNI - MPHIN/2018/75494